[2020] 7 एस. सी. आर 283

स्टेलिन

वी.

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व

(2020 की आपराधिक अपील संख्या 577)

सितंबर 09,2020

[अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और

एम. आर. शाह, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-एस। 302 , एस। 304 और अपवाद IV से s। 300 - अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषी ठहराया गया और यू/एस को सजा सुनाई गई। 302 आईपीसी -

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि यह एकल चोट का मामला था। 302 आई. पी. सी. को आकर्षित नहीं किया जाएगा और मामला यू/एस. के अधीन आएगा। 304 - भाग II आई. पी. सी.-आयोजितः एकल चोट के मामले में कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं है। 302 आई. पी. सी. आकर्षित नहीं होगा-यह तथ्यों पर निर्भर करता है और

प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ-तत्काल मामले में, पीडब्लू-3 ने बयान दिया कि जब पीड़ित-मृतक ने दो व्यक्तियों को अतिरिक्त बीयर परोसी

जो बाहर से आया, आरोपी गुस्से में आ गया और पीड़ित को बताया कि वह शहर के बाहर के लोगों को अधिक बीयर क्यों दे रहा है और स्थानीय लोगों को क्यों नहीं दे रहा है, इसके बाद समस्या शुरू हो गई और उस हाथापाई में आरोपी ने चाकू निकाला और पीछे से चाकू मार दिया-अपवाद IV के अनुसार। s.300 आई. पी. सी., गैर इरादतन हत्या हत्या नहीं है यदि यह जुनून की गर्मी में अचानक लड़ाई में की जाती है-तथ्यों और परिस्थितियों और जिस तरह से घटना शुरू हुई, उसे ध्यान में रखते हुए, s.302 आई. पी. सी. को आकर्षित नहीं किया जाएगा-हालाँकि, अभियुक्त ने चाकू जैसे हथियार से वार किया और उसे चोट पहुँचाई। शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर पीड़ित, यह माना जाना चाहिए कि इस तरह की शारीरिक चोट से मृत्यु होने की संभावना थी-इस प्रकार, मामला यू/एस गिर जाएगा। 304 - भाग-I और यू/एस नहीं। 304 - आई. पी. सी. का भाग II।

आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. ऐसा कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं है कि एकल चोट के मामले में आई. पी. सी. की धारा 303 को आकर्षित नहीं किया जाएगा। यह निर्भर करता है

प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर। चोट की प्रकृति, शरीर का वह भाग जहाँ यह होती है, ऐसी चोट पहुँचाने में उपयोग किया जाने वाला हथियार इस तथ्य के संकेतक हैं कि क्या

अभियुक्त मृत्यु का कारण बना या न बनने के इरादे से मृतक की मृत्यु का कारण बना। यह सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि जब भी मृत्यु किसी एक व्यक्ति के कारण होती है।

झटका, आई. पी. सी. की धारा 307 को खारिज कर दिया गया है। तथ्य स्थिति पर प्रत्येक मामले में विचार किया जाना चाहिए, विशेष रूप से, के तहत

ऊपर वर्णित परिस्थितियों में, इससे पहले की घटनाओं का इस मुद्दे पर भी प्रभाव पड़ेगा कि क्या जिस कार्य से मृत्यु हुई थी, वह मृत्यु का कारण बनने के इरादे से किया गया था या यह जानने के लिए कि इससे मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन मृत्यु का कारण बनने के इरादे के बिना। यह परिस्थितियों की समग्रता है जो अपराध की प्रकृति तय करेगी। [पैरा 7.2] [296-डी-एफ]

2. विभिन्न मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना, विशेष रूप से एकल चोट और तथ्यों पर निर्णय

दूसरी ओर, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या मामला आई. पी. सी. की धारा 307 या किसी अन्य कम अपराध के तहत आएगा। पीडब्लू3, जो शुरू से ही इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं, ने अपदस्थ किया कि जब मृतक ने दो व्यक्तियों को अतिरिक्त बीयर परोसी जो

बाहर से आया, आरोपी गुस्से में आ गया और मृतक को बताया कि वह शहर के बाहर के लोगों को अधिक बीयर क्यों दे रहा है और स्थानीय लोगों को क्यों नहीं दे रहा है और उसके बाद समस्या शुरू हो गई और उस हाथापाई में आरोपी ने चाकू निकाल लिया और पीछे से चाकू मार दिया। [पैरा 9] [297-ई-एफ]

3. आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवाद IV के अनुसार, गैर इरादतन हत्या हत्या नहीं है यदि यह अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में अचानक लड़ाई में पूर्व-चिंतन के बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना और क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना किया जाता है। वर्तमान मामले में,

घटना स्थल पर बीयर परोसी जा रही थी; बीयर पार्टी में भाग लेने वाले सभी दोस्त थे; घटना की शुरुआत पी. डब्ल्यू. 3 द्वारा सुनाई गई है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसलिए, तथ्यों और परिस्थितियों में, गैर-इरादतन हत्या को आई. पी. सी. की धारा 300 की परिभाषा के भीतर हत्या नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, यहां ऊपर वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और जिस तरह से घटना एक बीयर पार्टी में शुरू हुई, इस अदालत की राय है कि आई. पी. सी. की धारा 303 को आई. पी. सी. की धारा 300 के तहत हत्या नहीं कहा जा सकता है।

आकर्षित न हों। [पैरा 10] [297-एच; 298-ए-बी]

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से कि अभियुक्त ने चाकू जैसे हथियार से प्रहार करें और उसने मृतक को शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट पहुंचाई, यह माना जाना चाहिए कि स्टेलिन v.

इस तरह की शारीरिक चोट के कारण होने की संभावना थी

इसलिए, मामला धारा 304 भाग 1 के तहत आएगा।

और आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II के तहत नहीं। [पार.

-सी-डी]

महेश बाल्मिकी बनाम। एम. पी. राज्य (2000) 1 एस. सी. सी. 319;

धीरजभाई गोरखभाई नायक बनाम। गुजरात राज्य

(2003) 9 एससीसी 322: [2003] 1 पूरक। एससीआर 754;

पुलिचेरला नागराजू बनाम। ए. पी. राज्य (2006) 11 एस. सी. सी

444 : [2006] 4 पूरक। एस. सी. आर. 633; सिंगापागु अंजैया बनाम।

ए. पी. राज्य (2010) 9 एस. सी. सी. 799: [2010] 7 एससीआर 703;

बाविसेट्टी कामेश्वर राव बनाम। ए. पी. राज्य (2008) 15 एस. सी. सी.

725 : [2008] 5 एस. सी. आर. 408; जाफेल बिस्वास बनाम। पश्चिमी राज्य

बंगाल (2019) 12 एस. सी. सी. 560 पर निर्भर था। कुन्हायिप्पु बनाम। केरल राज्य (2000) 10 एससीसी 307;

महाराष्ट्र (2000) 3 एस. सी. सी. 557: [2000] 1 एससीआर 1155; धीरजभाई गोरखभाई नायक बनाम। गुजरात राज्य

(2003) 9 एससीसी 322: [2003] 1 पूरक। एससीआर 754;

पुलिचेरला नागराजू बनाम। ए. पी. राज्य (2006) 11 एस. सी. सी 444 : [2006] 4 पूरक। एस. सी. आर. 633; अरुण राज बनाम संघ का

भारत (2010) 6 एससीसी 457: [2010] 7 एस. सी. आर. 1; सिंगापागु अंजयाह वी। ए. पी. राज्य (2010) 9 एस. सी. सी. 799: [2010] 7

एस. सी. आर. 703; अशोककुमार नागाभाई वनकर बनाम। की स्थिति

गुजरात (2011) 10 एस. सी. सी. 604; विजय रामकृष्णन

गायकवाड़ बनाम. महाराष्ट्र राज्य (2012) 11 एससीसी 592;

सोम राज बनाम। एच. पी. राज्य (2013) 14 एस. सी. सी. 246: [2013] 4

एस. सी. आर. 433; मध्य प्रदेश राज्य बनाम। कालीचरण

पंजाब (2019) 15 एस. सी. सी. 622; राजस्थान राज्य बनाम कन्हैया लाल (2019) 5 एस. सी. सी. 639: [2019] 5 एससीआर 569

- संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

घ) 10 एस. सी. सी. 307

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.2

संदर्भित किया गया है

0] 1 एससीआर 1155

पैरा 4.2 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[20

20]

1 एस. सी. सी. 319

उस पर भरोसा करें

(2000)

पैरा 4.2

[2003] 1 पूरक। एससीआर 754

उस पर भरोसा करें

पैरा 5.1

उस पर भरोसा करें

पैरा 5.1

[2006] 4 पूरक। एससीआर 633

[2008] 5 एससीआर 408

उस पर भरोसा करें

पैरा 5.1

[2010] 7 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 5.1

[2010] 7 एससीआर 703

उस पर भरोसा करें

पैरा 5.1

(2011) 10 एस. सी. सी. 604

पैरा 5.1

संदर्भित किया गया है

(2012) 11 एस. सी. सी. 592

संदर्भित किया गया है

पैरा 5.1

[2013] 4 एससीआर 433

संदर्भित किया गया है

पैरा 5.1

(2019) 6 एस. सी. सी. 809

संदर्भित किया गया है

पैरा 5.1

(2019) 13 एससीसी 131

पैरा 5.1

संदर्भित किया गया है

(2020) 2 एस. सी. सी. 511

संदर्भित किया गया है

पैरा 5.1

(2019) 15 एस. सी. सी. 622

पैरा 6

संदर्भित किया गया है

(2000) 1 एस. सी. सी. 319

संदर्भित किया गया है

पैरा. 1.

[2003] 1 पूरक। एससीआर 754

संदर्भित किया गया है

पैरा. 1.

[2006] 4 पूरक। एससीआर 633

संदर्भित किया गया है

पैरा. 1.

[2010] 7 एससीआर 703

संदर्भित किया गया है

पैरा. 1.

[2019] 5 एससीआर 569

संदर्भित किया गया है

पैरा. 1. :

(2019) 12 एससीसी 560

उस पर भरोसा करें

पैरा 8.1

आपराधिक अपील

न्यायनिर्णयः अपराधी।

2020 का सं. 577।

के 18.01.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सी. आर. एल. में मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ। 2016 का ए. सं. 122।

के. के. मणि, सुश्री टी. अर्चना, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

एम. योगेश कन्ना, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

स्टेलिन वी. पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और दिनांक 18.01.2017 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

2016 की आपराधिक अपील (एम. डी.) संख्या 122 में मद्रास में न्यायिक न्यायालय, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को खारिज कर दिया है और 2012 के सत्र मामले संख्या 354 में विद्वान चतुर्थ अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय, तिरुनेलवेली द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा की पुष्टि की है, जिसमें अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया है-आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मूल अभियुक्त, मूल अभियुक्त ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आदेश दिनांकित है।

01.04.2019 , इस न्यायालय ने वर्तमान अपील में एक नोटिस जारी किया है जो इस हद तक सीमित है कि क्या दोषसिद्धि आई. पी. सी. की धारा 304 भाग 2 या धारा 302 के तहत होनी चाहिए थी। इसलिए, इस न्यायालय को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या इसमें अपीलकर्ता-मूल अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सही तरीके से दोषी ठहराया गया है या उसे किसी अन्य कम अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना है। आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II। 4. अपीलार्थी-मूल अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि चूंकि यह एक ही प्रहार का मामला है, इसलिए आई. पी. सी. की धारा 303 को आकर्षित नहीं किया जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि घटना के लिए कथित तथाकथित उद्देश्य भी विचाराधीन घटना के चार महीने पहले का है और इसलिए, अभियोजन पक्ष मृतक को मारने के लिए आरोपी के उद्देश्य को स्थापित करने और साबित करने में विफल रहा है।

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इस प्रकार, घटना अचानक और गंभीर उकसावे से हुई थी और इसलिए अपराध होगा

4.2 अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने इन मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर बहुत अधिक भरोसा किया है - कुन्हायिप्पु बनाम। केरल राज्य (2000) 10 एस. सी. सी. 307 और मुसुम्शा हसनाशा मुसलमान बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2000) 3 एस. सी. सी. 557 उनके निवेदन के समर्थन में कि एक छुरा घोंपने की चोट के लिए, धारा

302 आई. पी. सी. आकर्षित नहीं होगी।

4.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 303 से आई. पी. सी. की धारा 304 भाग 2 में परिवर्तित किया जाए। 5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और

अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य की सराहना करते हुए, दोनों-विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सही दोषी ठहराया है। यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि आरोपी ने शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से-लीवर पर चाकू से प्रहार करके चोट पहुंचाई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अभियुक्त के पास चाकू था; अभियुक्त द्वारा की गई चोट शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर थी; और यह कि कोई गंभीर और अचानक उकसावा स्थापित और साबित नहीं हुआ था, यह प्रस्तुत किया जाता है कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त को सही तरीके से दोषी ठहराया है।

5.1 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने

दृढ़ता से प्रस्तुत किया कि कानून का कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं है

इस न्यायालय द्वारा किसी भी निर्णय में कहा गया है कि एक भी प्रहार के मामले में, आई. पी. सी. की धारा 307 को आकर्षित नहीं किया जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि चोटों की संख्या अप्रासंगिक है; यह हमेशा इरादे का पता लगाने के लिए निर्धारक कारक नहीं होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, यह चोट की प्रकृति है; शरीर का वह भाग जहाँ यह लगी है; ऐसी चोट पहुँचाने में उपयोग किया जाने वाला हथियार जो इस तथ्य के संकेतक हैं कि क्या अभियुक्त ने मृतक की मृत्यु मृत्यु कराने के इरादे से की थी या नहीं। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने एकल चोट पर इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है और ऐसे मामले में, क्या आई. पी. सी. की धारा 307 आकर्षित होगी या नहीं।

((i)

महेश बाल्मिकी बनाम। एम. पी. राज्य (2000) 1 एस. सी. सी. 319;

((ख)

धीरजभाई गोरखभाई नायक बनाम। गुजरात राज्य (2003)

9 एससीसी 322;

पुलिचेरला नागराजू बनाम। ए. पी. राज्य (2006) 11 एस. सी. सी. 444

(iii)

((iv) बाविसेट्टी कामेश्वर राव बनाम। ए. पी. राज्य (2008) 15 एस. सी. सी.

725 ;

(v) अरुण राज बनाम। भारत संघ। (2010) 6 एससीसी 457; ( ) 3 (vi) सिंगापागु अंजैया बनाम। ए. पी. राज्य (2010) 9 एस. सी. सी. 799; स्टेलिन वी.

(vii) अशोककुमार नागाभाई वनकर बनाम। गुजरात राज्य (2011)

10 एससीसी 604;

(viii) विजय रामकृष्ण गायकवाड़ बनाम। महाराष्ट्र राज्य

(2012) 11 एससीसी 592;

(ix) 3 सोम राज बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य (2013) 14 एस. सी. सी. 246;

(x) मध्य प्रदेश राज्य v. कालीचरण (2019) 6 एस. सी. सी.

809 ;

(xi)

राजस्थान राज्य बनाम। लीला राम (2019) 13 एससीसी 131;

(xii) अनंत कामिल्य बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (2020) 2 एससीसी

511

6. अब, जहाँ तक अभियुक्त की ओर से यह निवेदन है कि अभियोजन पक्ष उद्देश्य को स्थापित करने और साबित करने में विफल रहा है और/या कि घटना का कथित उद्देश्य विचाराधीन घटना के चार महीने पहले का है, राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सही देखा गया है, ऐसे मामले में जहां चश्मदीद गवाह उपलब्ध हैं, मकसद महत्वहीन हो जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, वर्तमान मामले में, पीडब्लू 1,2 और 3 घटना के चश्मदीद गवाह हैं और इसलिए, वर्तमान में उद्देश्य महत्वहीन है।

7.1 अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से यह मामला है कि चूंकि यह एकल चोट का मामला है, इसलिए आई. पी. सी. की धारा 307 को आकर्षित नहीं किया जाएगा और मामला आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II के तहत आएगा। उपरोक्त निवेदन पर विचार करते समय, इस न्यायालय के कुछ निर्णयों को संदर्भित करने की आवश्यकता है कि क्या एकल चोट के मामले में, आई. पी. सी. की धारा 302 आकर्षित होगी या नहीं।

7.1. 1 महेश बाल्मिकी बनाम। एम. पी. राज्य, (2000) 1 एस. सी. सी. 319, इस न्यायालय ने इस प्रश्न का निर्णय करते हुए कि क्या एक के साथ एक भी झटका

मृतक की छाती पर चाकू रखने पर आई. पी. सी. की धारा 302 लागू होगी, जो इस प्रकार हैः (एससीसी पीपी। 322-23 , पैरा 9)

" 9. ..... ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि एकल प्रहार के सभी मामलों में आई. पी. सी. की धारा 303 आकर्षित नहीं होती है। कुछ [2020] 7 एस. सी. आर. में एक भी झटका लग सकता है।

कुछ मामलों में आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत और कुछ अन्य मामलों में आई. पी. सी. की धारा 326 के तहत दोषसिद्धि होती है। अपराध की प्रकृति के संबंध में प्रश्न का निर्धारण तथ्यों और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर किया जाना चाहिए। चोट की प्रकृति, चाहे वह शरीर के महत्वपूर्ण या गैर-महत्वपूर्ण हिस्से पर हो, इस्तेमाल किया गया हथियार, वे परिस्थितियाँ जिनमें

यद्यपि ऊपर वर्णित विवरण का एक एकल लेकिन एक घातक प्रहार। ये तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि अपीलार्थी का इरादा मृतक को मारने का था। किसी भी स्थिति में, वह सुरक्षित रूप से हो सकता है उन्होंने इस ज्ञान को श्रेय दिया कि उनके द्वारा दिया गया चाकू-प्रहार इतना आसन्न रूप से खतरनाक था कि यह सभी संभावनाओं में मृत्यु या मृत्यु का कारण बनना चाहिए।

ऐसी शारीरिक चोट जिससे मृत्यु होने की संभावना हो। 7.1. 2 धीरजभाई गोरखभाई नायक बनाम। की स्थिति

चूहा (2003) 9 एस. सी. सी. 322, यह न्यायालय सामग्री पर चर्चा करते हुएआई. पी. सी. की धारा 300 की धारा 4 ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः (एससीसी पीपी। 327-28 , पैरा 11)

“ 11. आई. पी. सी. की धारा 300 के चौथे अपवाद में अचानक लड़ाई में किए गए कार्य शामिल हैं। उक्त अपवाद अभियोजन (एस. आई. सी. उकसावे) के मामले से संबंधित है जो पहले अपवाद के दायरे में नहीं आता है, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। द. अपवाद एक ही सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में पूर्वधारणा का अभाव है। लेकिन, जबकि अपवाद 1 के मामले में आत्म-नियंत्रण का पूरी तरह से अभाव है, अपवाद 4 के मामले में, केवल जुनून की गर्मी है जो पुरुषों की शांत बुद्धि को प्रभावित करती है और उन्हें ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करते। अपवाद 1 के रूप में अपवाद 4 में उकसावा है, लेकिन की गई चोट उस उकसावे का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वास्तव में, अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें भले ही कोई झटका लगा हो, या विवाद की उत्पत्ति में या किसी भी तरह से झगड़ा उत्पन्न हुआ हो, फिर भी दोनों पक्षों का बाद का आचरण उन्हें अपराध के संबंध में समान आधार पर रखता है। एक "अचानक लड़ाई" का अर्थ है

आपसी उकसावे और दोनों तरफ से मार-पीट। हत्या की घटना

प्रतिबद्ध तब स्पष्ट रूप से एकतरफा उकसावे के लिए पता नहीं लगाया जा सकता है, STALIN v।

न ही ऐसे मामलों में पूरा दोष एक पक्ष पर लगाया जा सकता है। यदि ऐसा था, तो अपवाद अधिक उचित रूप से लागू होता है। अपवाद 1 होगा। कोई पूर्व विचार-विमर्श नहीं है या

लड़ने का दृढ़ संकल्प। अचानक एक लड़ाई होती है, जिसके लिए दोनों पक्षों को कमोबेश दोषी ठहराया जाता है। यह हो सकता है कि उनमें से एक ने इसे शुरू किया हो, लेकिन अगर दूसरे ने इसे अपने स्वयं के आचरण से नहीं बढ़ाया होता तो यह उतना गंभीर मोड़ नहीं लेता जितना उसने लिया था। फिर आपसी उकसावा और उत्तेजना होती है, और प्रत्येक योद्धा के लिए दोष के हिस्से को विभाजित करना मुश्किल होता है। अपवाद 4 की सहायता तब ली जा सकती है जब मृत्यु (ए) पूर्व-चिंतन के बिना, (बी) अचानक लड़ाई में, (सी) अपराधियों के बिना हुई हो।

अनुचित लाभ उठाते हुए या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य करते हुए, और (घ) लड़ाई मारे गए व्यक्ति के साथ हुई होगी। एक मामले को अपवाद 4 के भीतर लाने के लिए उसमें उल्लिखित सभी अवयवों को पाया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि "लड़ाई" हो रही है आई. पी. सी. की धारा 300 में अपवाद 4 को परिभाषित नहीं किया गया है। लड़ाई करने में दो लोग लगते हैं। जुनून की गर्मी के लिए आवश्यक है कि जुनून को ठंडा करने के लिए कोई समय नहीं होना चाहिए और इस मामले में, पार्टियों ने शुरुआत में मौखिक विवाद के कारण खुद को क्रोधित कर लिया था। लड़ाई दो और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक लड़ाई है, चाहे वह हथियारों के साथ हो या बिना हथियारों के। किसी भी सामान्य नियम का उच्चारण करना संभव नहीं है कि अचानक झगड़ा क्या माना जाएगा। यह तथ्य का सवाल है और क्या झगड़ा अचानक होता है या नहीं।

अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए। अपवाद 4 के अनुप्रयोग के लिए, यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वधारणा नहीं थी। यह आगे दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया है। प्रावधान में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "अनुचित लाभ" का अर्थ है "अनुचित"

लाभ "। 7.1. 3 पुलिचेरला नागराजू बनाम। ए. पी. राज्य (2006) 11 एस. सी. सी

इस न्यायालय ने यह निर्णय लेते हुए कि क्या कोई मामला आई. पी. सी. की धारा 302 या भाग I या 304 भाग II के तहत आता है, इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः (एससीसी पीपी। 457-58 , पैरा 29):

" 29. इसलिए, अदालत को इरादे के महत्वपूर्ण प्रश्न पर सावधानी और सावधानी के साथ निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह तय करेगा कि मामला धारा 304 या 304 भाग I या 304 भाग II के तहत आता है या नहीं। कई छोटे या महत्वहीन मामले-फल तोड़ना, मवेशियों का भटकना, बच्चों का झगड़ा, अशिष्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

शब्द या यहाँ तक कि एक आपत्तिजनक नज़र से, बहस और सामूहिक संघर्ष हो सकते हैं जो मौतों में परिणत हो सकते हैं। सामान्य उद्देश्य जैसे

ऐसे मामलों में बदला, लालच, ईर्ष्या या संदेह पूरी तरह से अनुपस्थित हो सकते हैं।

मामले। कोई इरादा नहीं हो सकता है। कोई पूर्वधारणा नहीं हो सकती है। वास्तव में, आपराधिकता भी नहीं हो सकती है। दूसरे छोर पर स्पेक्ट्रम, हत्या के मामले हो सकते हैं जहां आरोपी

हत्या के लिए दंड से बचने का प्रयास एक ऐसा मामला सामने रखने का प्रयास करके कि मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था। यह सुनिश्चित करना अदालतों का काम है कि धारा 307 के तहत दंडनीय हत्या के मामलों को दंडनीय अपराधों में परिवर्तित नहीं किया जाए। धारा 304 भाग I/II, या गैर इरादतन हत्या के मामलों को, जो हत्या के बराबर नहीं हैं, धारा 303 के तहत दंडनीय हत्या के रूप में माना जाता है। मृत्यु का कारण बनने का इरादा आम तौर पर निम्नलिखित में से कुछ या कई के संयोजन से एकत्र किया जा सकता है।

परिस्थितियाँः ((i) उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति; (ii) क्या हथियार अभियुक्त द्वारा ले जाया गया था या उससे उठाया गया था।

स्थान; (iii) क्या प्रहार शरीर के किसी महत्वपूर्ण भाग पर किया गया है; (iv) चोट पहुँचाने में प्रयुक्त बल की मात्रा; (v) क्या यह कार्य अचानक झगड़े या अचानक लड़ाई के दौरान किया गया था या सभी लड़ाई के लिए स्वतंत्र था; (vi) क्या यह घटना संयोग से हुई या क्या कोई पूर्वकल्पना थी; (vii) क्या कोई पूर्व शत्रुता थी या क्या मृतक कोई अजनबी था; (viii) क्या कोई गंभीर और अचानक उकसावा हुआ था, और यदि ऐसा है, तो इस तरह के उकसावे का कारण; (ix) क्या चोट पहुँचाने वाले व्यक्ति ने अनुचित लाभ उठाया है या उसने क्रूर और असामान्य तरीके से काम किया है। परिस्थितियों की उपरोक्त सूची, निश्चित रूप से, संपूर्ण नहीं है और अलग-अलग मामलों के संदर्भ में कई अन्य विशेष परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो इरादे के सवाल पर प्रकाश डाल सकती हैं। जैसा भी हो "।

7.1. 4 सिंगापागु में अंजयाह बनाम। ए. पी. राज्य (2010) 9 एस. सी. सी. 799, न्यायालय ने इस प्रश्न का निर्णय करते हुए कि क्या कौवे से सेड की खोपड़ी पर प्रहार आई. पी. सी. की धारा 305 को आकर्षित करेगा, इस प्रकार अभिनिर्धारित किया (एस. सी. सी.)

3 , पैरा 16):

" 16. हमारी राय में, क्योंकि कोई भी आरोपी के दिमाग में प्रवेश नहीं कर सकता है, उसके इरादे को हथियार से इकट्ठा किया जाना चाहिए

उपयोग किया गया, हमले के लिए चुने गए शरीर का हिस्सा और स्टेलिन v की प्रकृति।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य प्रतिनिधि [एम. आर. शाह, जे.]

चोटों के कारण। यहाँ, अपीलार्थी ने अपराध के हथियार के रूप में एक कौआ को चुना था। उन्होंने आगे शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से यानी सिर को उस चोट के लिए चुना है जो कई बार लगी थी।

खोपड़ी के फ्रैक्चर। यह स्पष्ट रूप से उस बल को दर्शाता है जिसके साथ अपीलार्थी ने हथियार का इस्तेमाल किया था। इन सभी का संचयी प्रभाव

अपरिहार्य रूप से कारक एक और एकमात्र निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं कि अपीलार्थी का इरादा मृतक की मृत्यु का कारण बनना था।

7.1. 5 राजस्थान राज्य में v. कन्हैया लाल (2019) 5 एस. सी. सी. 639 न्यायालय ने पैराग्राफ 7.3,7.4 और 7.5 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 7.3 . अरुण राज [अरुण राज बनाम। भारत संघ, (2010) 6 एस. सी. सी. 457: (2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 155] इस न्यायालय ने कहा और अभिनिर्धारित किया कि कोई निश्चित नियम नहीं है कि जब भी एक भी प्रहार किया जाता है, तो धारा 305 को आकर्षित नहीं किया जाएगा। इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में यह देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति और

शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा जहाँ प्रहार किया गया था, उससे परे साबित करें

मृतक। इस न्यायालय द्वारा आगे यह अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार ये तत्व साबित हो जाने के बाद, यह अप्रासंगिक है कि क्या एक ही प्रहार हुआ था या कई प्रहार हुए थे।

7.4 . अशोककुमार मगभाई वनकर में [अशोककुमार]

मगभाई वनकर बनाम। गुजरात राज्य (2011) 10 एस. सी. सी. 604: (2012) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 397], मृत्यु मृतक के सिर पर लकड़ी के मूसल से एक ही वार से हुई थी। यह पाया गया कि

अभियुक्त ने इतने बल से मूसल का इस्तेमाल किया कि मृतक का सिर

टुकड़ों में टूट गया। इस न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या मामला आई. पी. सी. की धारा 300 की धारा 242 या अपवाद 4 के तहत आएगा। इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मृतक को लगी चोट, न केवल पीड़ित की मृत्यु के लिए अभियुक्त के इरादे को दर्शाती है,

लेकिन उस संबंध में अभियुक्त की जानकारी भी। यह आगे है

इस न्यायालय ने कहा कि इस तरह का हमला कोई और नहीं हो सकता है

पीड़ित की मृत्यु के लिए। यह देखा गया है कि कोई भी उचित

व्यक्ति, कल्पना के किसी भी विस्तार के साथ निष्कर्ष पर आ सकता है

कि शरीर के ऐसे महत्वपूर्ण भाग पर ऐसी चोट, इस तरह के एक

हथियार, मौत का कारण बनेगा।

7.5 . इस न्यायालय द्वारा हाल ही में इसी तरह का दृष्टिकोण लिया गया है।

लीला राम (ऊपर) में निर्णय और केटेना पर विचार करने के बाद हाथ में मुद्दे पर इस न्यायालय के निर्णय यानी एकल [2020] 7 एस. सी. आर. के मामले में।

झटका, चाहे मामला धारा 303 या धारा 304 भाग 1 के तहत आता है।

या धारा 304 भाग 2, इस न्यायालय ने निर्णय को उलट दिया और आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया गया। में।

उसी निर्णय पर, इस न्यायालय ने धारा 4 के अपवाद पर भी विचार किया

300 आई. पी. सी. और पैरा 21 में निम्नानुसार अवलोकन किया गयाः (एस. सी. सी. पैरा 21)

" 21. अपवाद 4 के तहत, गैर-इरादतन हत्या हत्या नहीं है यदि उस प्रावधान में निहित शर्तें हैं -

पूरा हुआ। वे इस प्रकार हैंः ((i) यह कि यह कार्य बिना किसी पूर्व-चिंतन के किया गया था; (ii) अचानक लड़ाई हुई थी; (iii) यह कार्य अचानक हुए झगड़े पर जुनून की गर्मी में होना चाहिए;

और (iv) अपराधी को अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए था या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं करना चाहिए था।

7.1. 6 बाविसेट्टी कामेश्वर राव (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 13 और 14 में निम्नानुसार प्रावधान कियाः

" 13. यह देखा गया है कि जहां हत्या के मामले में केवल एक ही चोट होती है, वहां हमेशा बहस करने की प्रवृत्ति होती है

कि अपराध हमेशा धारा 304 के तहत कवर किया जाएगा

भाग II आई. पी. सी. अपराध की प्रकृति जहाँ एक ही चोट हो केवल एकल चोट के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सका और

इस प्रकार एक यांत्रिक तरीके से। अपराध की प्रकृति

निश्चित रूप से अन्य परिचर परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो

अदालत को इरादे के बारे में निश्चित रूप से पता लगाने में मदद मिलेगी अभियुक्त का हिस्सा। ऐसी परिवेशक परिस्थितियाँ हो सकती हैं -

बहुत सारे, वे हैं (i) क्या कार्य पूर्व नियोजित था; (ii)

उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति; (iii) उस पर हमले की प्रकृति

अभियुक्त। यह निश्चित रूप से एक विस्तृत सूची और हर मामला नहीं है।

अनिवार्य रूप से उपलब्ध साक्ष्य पर निर्भर होना पड़ता है। संबंध में

पेचकश के उपयोगकर्ता, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि यह था

केवल पल की प्रेरणा पर एक आकस्मिक उपयोग और, इसलिए,

मृत्यु का कारण बनने या ऐसा कारण बनने का कोई इरादा नहीं हो सकता है

शारीरिक चोट जो मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त होगी। केवल इसलिए कि पेचकश एक सामान्य उपकरण था जिसका उपयोग अभियुक्त अपने काम में करता था। ऐसा नहीं हो सकता था कि इसका उपयोगकर्ता हानिरहित होगा।

14. कर्नाटक राज्य में v. वेदानायगम [(1995) 1 एस. सी. सी. 326: 1995 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 232] इस न्यायालय ने सामान्य तर्क पर विचार किया।

एकल चोट के तहत एक दोषसिद्धि को आमंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है

आई. पी. सी. की धारा 303। उस मामले में चोट चाकू से लगी थी।

स्टेलिन वी. पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य प्रतिनिधि [एम. आर. शाह, जे.]

चिकित्सा साक्ष्य ने अभियोजन पक्ष के इस कथन का समर्थन किया कि चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भरोसा करते हुए कि केवल एक चोट है, आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया था। हालांकि, एक विस्तृत चर्चा के बाद

चोट की प्रकृति के संबंध में, अभियुक्त द्वारा शरीर के उस हिस्से को चुना गया है जिसे समान और अन्य परिचर परिस्थितियों को लागू करने के लिए चुना गया है और आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड 3 पर चर्चा करने के बाद और आगे विरसा सिंह बनाम में निर्णय पर भरोसा किया गया है। पंजाब राज्य [ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 465], अदालत ने आई. पी. सी. की धारा 305 के तहत बरी किए जाने के फैसले को दरकिनार कर दिया और आरोपी को उस अपराध के लिए दोषी ठहराया। अदालत ने

(वेदानायगम मामले में [(1995) 1 एस. सी. सी. 326: 1995 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 232] एस. सी. सी. पी. 330 , पैरा 4) जे. बोस द्वारा विरसा में किए गए अवलोकन पर निर्भर था।

"

सिंह मामला [ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 465] यह सुझाव देता है कि: (विरसा सिंह मामला [ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 465], ए. आई. आर. पी. 468 , पैरा 16)

" 16. ..... विद्वान न्यायाधीश के प्रति उचित सम्मान के साथ उन्होंने आवश्यक इरादे को चोट की गंभीरता के साथ जोड़ा है, और जैसा कि हमने दिखाया है, वह धारा नहीं है आवश्यकताएँ हैं। दोनों मामले काफी अलग और अलग हैं, हालांकि उनके बारे में सबूत कभी-कभी ओवरलैप हो सकते हैं।

उपरोक्त मामले में आगे के अवलोकन इस प्रकार थे: (विरसा

सिंह मामला [ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 465], ए. आई. आर. पी. 468 , पैरा 16 और 17)

" 16. ..... सवाल यह नहीं है कि क्या कैदी का इरादा गंभीर चोट पहुँचाना था या मामूली, बल्कि यह है कि क्या वह उस चोट को पहुँचाना चाहता था जो मौजूद साबित हुई है। यदि वह दिखा सकता है कि उसने ऐसा नहीं किया, या यदि परिस्थितियों की समग्रता इस तरह के निष्कर्ष को उचित ठहराती है, तो निश्चित रूप से, धारा के लिए आवश्यक इरादा साबित नहीं होता है। लेकिन यदि चोट और इस तथ्य के अलावा कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी ने इसे लगाया है, तो एकमात्र संभावित निष्कर्ष यह है कि वह इसे देने का इरादा रखता था। क्या वह इसकी गंभीरता को जानता था, या गंभीर परिणामों का इरादा न तो यहाँ है और न ही वहाँ है। जहाँ तक इरादे का सवाल है, यह नहीं है कि क्या उसका इरादा मारने का था, या किसी विशेष स्तर की चोट पहुँचाने का था।

गंभीरता की, लेकिन क्या वह प्रश्न में चोट पहुँचाने का इरादा रखता था; और एक बार चोट का अस्तित्व साबित हो जाने के बाद इसका कारण बनने का इरादा तब तक माना जाएगा जब तक कि सबूत या परिस्थितियाँ एक विपरीत निष्कर्ष की गारंटी नहीं देती हैं। लेकिन इरादा है या नहीं, यह एक तथ्य है और [2020] 7 एस. सी. आर. में से एक नहीं है।

कानून। चाहे घाव गंभीर हो या अन्यथा, और यदि गंभीर हो,

कितना गंभीर, एक पूरी तरह से अलग और अलग सवाल है और है इस सवाल से कोई लेना-देना नहीं है कि क्या कैदी का इरादा था

विचाराधीन चोट पहुँचाएँ।

17. ..... यह सच है कि किसी मामले में जांच हो सकती है

चोट की गंभीरता से जुड़ा हुआ। उदाहरण के लिए, यदि आप कर सकते हैं साबित किया जाए, या यदि परिस्थितियों की समग्रता एक अनुमान को उचित ठहराती है,

कि कैदी का केवल एक सतही खरोंच का इरादा था और वह

दुर्घटना में उसका शिकार लड़खड़ाया और तलवार या भाले पर गिर गया

उपयोग किया गया था, तो निश्चित रूप से अपराध हत्या नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि कैदी का इरादा उस चोट का नहीं था जिसका वह इरादा रखता था

मामला पूरी तरह से अलग चोट पहुँचाने का होगा। फर्क यह है कि कानून में से एक नहीं बल्कि तथ्य में से एक; "

(जोर दिया गया) "

7.2 उपर्युक्त निर्णयों से यह पता चलता है कि कोई नहीं है

कठोर और त्वरित नियम है कि एकल चोट के मामले में आई. पी. सी. की धारा 303 को आकर्षित नहीं किया जाएगा। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। चोट की प्रकृति, शरीर का वह भाग जहाँ यह होती है, इस तरह की चोट पहुँचाने में इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार इस तथ्य के संकेतक हैं कि क्या अभियुक्त मृत्यु का कारण बना या न बनने के इरादे से मृतक की मृत्यु का कारण बना। यह सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि जब भी एक भी प्रहार के कारण मृत्यु होती है, तो आई. पी. सी. की धारा 307 को खारिज कर दिया जाता है। प्रत्येक मामले में तथ्य स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए, विशेष रूप से, ऊपर वर्णित परिस्थितियों में, इससे पहले की घटनाओं का भी इस मुद्दे पर असर होगा कि क्या जिस कार्य से मृत्यु हुई थी, वह मृत्यु का कारण बनने के इरादे से किया गया था या यह ज्ञान कि इससे मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन मृत्यु का कारण बनने के इरादे के बिना। यह परिस्थितियों की समग्रता है जो अपराध की प्रकृति तय करेगी।

8. अब, जहाँ तक अभियुक्त की ओर से निवेदन है कि

कथित उद्देश्य वर्तमान घटना के चार महीने पहले की घटना का है और यह कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने और साबित करने में विफल रहा है, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में तीन

चश्मदीद गवाह हैं जिन पर नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा विश्वास किया गया है और हम पीडब्लू 1,2 और 3 की विश्वसनीयता पर भी संदेह नहीं करते हैं। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा STALIN v. में अभिनिर्धारित किया गया है।

इसके अलावा, घटना के तीन चश्मदीद गवाह हैं और अभियोजन पक्ष उन तीन चश्मदीद गवाहों से पूछताछ करके आरोपी के खिलाफ मामले को साबित करने में सफल रहा है और इसलिए, जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही कहा है, यह मानते हुए कि कथित उद्देश्य वह घटना है जो चार महीने पहले हुई थी या अभियोजन पक्ष संदेह से परे उद्देश्य को साबित करने में विफल रहा है, यह मामले के लिए घातक नहीं होगा। अभियोजन।

किसी निष्कर्ष पर पहुँचते समय अदालतों द्वारा साक्ष्य की गहन जांच। जब किसी घटना को साबित करने वाले निश्चित साक्ष्य होते हैं और चश्मदीद गवाहों का विवरण अभियुक्त की भूमिका को साबित करता है, तो उद्देश्य को साबित करने में अनुपस्थिति अभियोजन पक्ष अभियोजन मामले को प्रभावित नहीं करता है।

9. उपरोक्त में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना

निर्णय, विशेष रूप से एकल चोट पर निर्णय और

तथ्यों की बात करें तो इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या मामला आई. पी. सी. की धारा 302 या किसी अन्य कम अपराध के तहत आता है। पीडब्लू3-नेल्सन, जो शुरू से ही इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं, ने अपदस्थ कर दिया कि जब मृतक-कालिदास ने दो व्यक्तियों को अतिरिक्त बीयर परोसी जो

बाहर से आया, आरोपी गुस्से में आ गया और मृतक को बताया कि वह शहर के बाहर के लोगों को अधिक बीयर क्यों दे रहा है और स्थानीय लोगों को क्यों नहीं दे रहा है और उसके बाद समस्या शुरू हो गई और उस हाथापाई में आरोपी ने चाकू निकाल लिया और पीछे से चाकू मार दिया। चिकित्सा साक्ष्य से, मृतक को निम्नलिखित चोटें आईं:

" बाहरी चोटें:

लगभग 3 x 1.5 से. मी. और 8 से. मी. गहराई में एक छुरा घोंपा जाता है, जिसके दाहिने तरफ पीठ पर साफ किनारे होते हैं।

डी11 कशेरुका मौजूद है। घाव के किनारे सूज जाते हैं, रक्त के साथ पढ़ा जाता है।

10. आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवाद IV के अनुसार, गैर इरादतन हत्या हत्या नहीं है यदि इसे [2020] 7 एस. सी. आर. में अचानक लड़ाई में पूर्व-चिंतन के बिना किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अचानक हुए झगड़े पर और अपराधी के बिना जुनून की गर्मी

आई. पी. सी. की धारा 300 की परिभाषा के भीतर एक हत्या कहा जाता है और इसलिए, ऊपर वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और जिस तरह से एक बीयर पार्टी में घटना शुरू हुई, हमारी राय है। कि आई. पी. सी. की धारा 307 को आकर्षित नहीं किया जाएगा।

11. अब, इस न्यायालय के विचार के लिए अगला सवाल यह है कि क्या मामला आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II के तहत आएगा? मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से कि आरोपी ने चाकू जैसे हथियार से प्रहार किया और उसने मृतक को शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट पहुंचाई, यह माना जाना चाहिए कि इस तरह की शारीरिक चोट के कारण मृत्यु होने की संभावना थी। इसलिए, मामला आई. पी. सी. की धारा 304 भाग I के तहत आएगा, न कि आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II के तहत।

12. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग I के तहत संशोधित किया गया है। अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग I के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और 8 साल आर. आई. की सजा सुनाई जाती है।

आगे एक वर्ष आर. आई. से गुजरना पड़ता है। अपील की अनुमति उपरोक्त को दी जाती है। हद तक।

अंकित ज्ञान

अपील की

आंशिक रूप से अनुमति है।